कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

आदेश संख्या – 07/2026 दिनांक – 03/01/2026

आदेश

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक न–5( )पु0फो0/कानि0 भर्ती–25/2024/1360 दिनांक 09.04.2025 एवं 1762 व 1763 दिनांक 12.05.2025 की अनुपालना में जिला सवाईमाधोपुर में कानि0 सामान्य के 81 रिक्त पदों (सामान्य–33, ओबीसी–29, एमबीसी–04, एससी–02, एसटी–24 एवं ईडब्ल्यूएस–08) एंव कानि0 चालक के 06 रिक्त पदों (एससी–02 व ओबीसी–04) की भर्ती हेतु प्रथम चरण में दिनांक 13 व 14.09.2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक न–5(17)पु.फो./कानि. भर्ती–25/2025/5886 दिनांक 03.12.2025 के द्वारा जिला सवाईमाधोपुर में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर (अध्यक्ष चयन मण्डल), पुलिस अधीक्षक, जिला सवाईमाधोपुर, (सदस्य चयन मण्डल) एवं पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर (मनोनीत सदस्य चयन मण्डल) के चयन मण्डल का गठन किया गया।

उपरोक्तानुसार गठित बोर्ड द्वारा जिला सवाईमाधोपुर में लिखित परीक्षा में सफल 435 अभ्यर्थियों (कानि. सामान्य 405 एवं कानि0 चालक 30) की दिनांक 09.12.2025 तक शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, बांसीखुर्द, भरतपुर में आयोजित की जाकर पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के स्थाई आदेश क्रमांक 07/2025 व राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार शारीरिक मापतौल/दक्षता परीक्षा आयोजित की जाकर सफल रहे अभ्यार्थियों की सूचियां पुलिस मुख्यालय प्रेषित की गई जिसका उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक न–5(26)पु.फो./कानि.भर्ती–26/2025/6131 दिनांक 18.12.2025 से अनुमोदन किया जाकर नियुक्ति सम्बन्धी समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

निर्देशानुसार अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन, जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन, मूल निवास प्रमाण पत्र सत्यापन, ड्राईविंग लाईसेंस सत्यापन एवं शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि प्रमाण पत्र सत्यापन में कानि0 चालक पद की भर्ती हेतु उपयुक्त पाये जाने पर राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतनमान आदेश क्रमांक एफ–15(1)एफ0डी0(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार निम्न अभ्यर्थियों को दो वर्ष की कालावधि के लिये परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कानिस्टेबल चालक के पद पर रूपये 14600/–(फिक्स रेमूनरेशन) मासिक वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। उक्त परीविक्षाधीन अवधि में रिक्रूट कानिस्टेबल द्वारा प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किये जाने पर स्थाईकरण किया जायेगा। अभ्यार्थी दो वर्ष की कालावधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार कानिस्टेबल चालक के पे मैट्रिक्स लेवल **L-5** में न्यूनतम वेतन में मासिक वेतन रूपये 20800 व अन्य देय भत्ते नियमानुसार देय होगें। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प–7(1) कार्मिक–2/95/पार्ट/दिनांक 13.08.2004 की पालना में सन्तान सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इन्हें कानिस्टेबल सामान्य के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति प्रदान किये गये **समस्त अभ्यर्थी रिर्जव पुलिस लाईन सवाईमाधोपुर में दिनांक 03.01.2026 तक अपनी उपस्थिति देगें।**

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम (सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्वश्री)	पता	जन्मतिथि	शिक्षा	वर्ग	चयन वर्ग	समग्र चयन वरियता कमांक व वर्ष	आवंटित बैल्ट नं0	शारीरिक मापतौल		
											सीना की माप		उंचाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1-	210029922	नन्दा राम खोजी	जय राम खोजी	ग्राम/पो0 साखुन, तह0 दुदु, थाना नरेना जिला जयपुर ग्रामीण	05-07-1996	12वीं	ओबीसी	OBC-M-1	1/2025	**1736**	96.0	102.8	179.4
2-	210013295	रमेश चन्द यादव	हरदेव यादव	ग्राम नवलपुरा, पो0 मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा थाना मनोहरपुर, जिला जयपुर ग्रामीण	10-09-1994	12वीं	ओबीसी	OBC-M-2	2/2025	**1737**	85.4	94.1	176.5
3-	210131381	लाला राम यादव	नारायण यादव	ग्राम उम्मेदपुरा, पो0 ईसरदा, तह0 व थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर	11-01-1996	12वीं	ओबीसी	OBC-M-3	3/2025	**1738**	81.9	91.8	174.6

4-	210200251	अशोक कुमार चौधरी	मोहन लाल चौधरी	ग्राम/पो0 महापुरा, तह0 व थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर	06-06-1994	12वीं	ओबीसी	OBC-M-4	4/2025	1739	87.8	98.0	173.7
5-	210143050	राहुल कुमार वर्मा	बाबू लाल बैरवा	दुध की डेयरी, रामदेव मंदिर के पास, पो0 महूकलां, तह0 व थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर	21-03-1996	12वीं	एससी	SC-M-1	5/2025	1740	88.9	98.3	177.9
6-	210000768	भागचन्द बैरवा	मूलचन्द बैरवा	ग्राम मानराजपुरा, पो0 पांचोलास, थाना रवांजना डूंगर तह0 व जिला स0मा0	15-06-1995	12वीं	एससी	SC-M-2	6/2025	1741	81.0	86.3	177.1

शर्तें :–

1. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के तहत उपरोक्त नव नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष के परीविक्षाकाल हेतु की गई है एवं दो वर्ष की परीविक्षाकाल अवधि समाप्त होने पर इनकी सेवाओं की समीक्षा की जायेगी तथा सेवायें असन्तोषप्रद पाये जाने पर इनकी परीविक्षा अवधि सक्षम अधिकारी (नियुक्ति अधिकारी) द्वारा बढाई जायेगी एवं 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि सन्तोषजनक रुप से पूर्ण करने व स्थायीकरण होने के उपरान्त इन्हें राज्य सरकार द्वारा देय पद के पे मैट्रिक्स लेवल में न्यूनतम वेतन तथा उस पर देय समस्त भत्ते इत्यादि देय होगें एंव नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी। दो वर्ष की परीविक्षाकाल अवधि में इन्हें फिक्स राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते इत्यादि देय नहीं होगे।
2. नव नियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 12(3)एफडी/रूल्स/2017/2022 दिनांक 19.05.22 के द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ5(5)एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021, आदेश संख्या एफ–5(5))एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 पार्ट द्वितीय दिनांक 07.07.21, दिनांक 07.09.21 व 19.04.22 में वर्णितानुसार आरजीएचएस योजना लागू होगी व नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
3. वेतन वृद्धि हेतु दो वर्ष की परीविक्षाकाल सेवा अवधि की गणना नहीं की जावेगी।
4. इस अवधि में कर्मचारी की सेवा में किसी प्रकार का अवकाश (अवकाश लेखे में) जमा नहीं किया जायेगा। परन्तु महिला कर्मचारियों के नियम 103 एवं 104 के तहत प्रसूति अवकाश देय होगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 16 के अनुसूची के अनुसार नवचयनित अभ्यार्थियों को परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान एक वर्ष की अवधि में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। परन्तु सेवा अवधि एक वर्ष से कम होने पर अनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
6. उपरोक्त कर्मचारियों के भुगतान से परीविक्षाकाल में राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती नहीं की जायेगी।
7. नवपदस्थापित स्थान पर उपस्थिति देने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उपरोक्त दो वर्ष की राज्य सेवा के दौरान राजकीय यात्रा करने पर इन्हें यात्रा भत्ता देय होगा परन्तु स्थानान्तरण पर सिर्फ मील भत्ता तथा आकस्मिक व्यय की राशि इन्हें देय प्रतिमाह फिक्स राशि के अनुसार ही दी जायेगी।
8. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ–13(3)एफडी/रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001 आदेश संख्या प–7(1)कार्मिक/क–2/97 पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के अन्तर्गत नियुक्ति के उपरान्त यदि उपरोक्त अभ्यार्थियों के 02 से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं तो उनका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मानकर सेवा से पृथक किया जायेगा।
9. उपरोक्त सेवायें अस्थायी होगी जो एक माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
10. फिक्स राशि राज्य सेवा में उपस्थिति/पदभार सम्भालने की तिथि से देय होगी।
11. नवनियुक्त अभ्यर्थी यदि आदेश में अंकित तिथि तक अपनी उपस्थिति पुलिसलाईन स0मा0 में दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
12. अभ्यर्थी राजकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी कार्यमुक्त आदेश/त्याग–पत्र आदेश की प्रति साथ लेकर आने पर ही कार्यग्रहण कराया जावेगा।
13. अभ्यर्थी को सम्पति का विवरण ऑनलाईन राज–काज के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
14. नव–नियुक्त अभ्यर्थी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 22ए(1)के अनुसा प्रशिक्षण की अवधि में अथवा प्रशिक्षण को पूर्ण करने के पश्चात् 02 वर्ष में त्याग पत्र देता है अथवा अन्य स्थान पर नियोजन हेतु पद त्याग करता है, तो उक्त अभ्यर्थी प्रशिक्षणकाल में प्राप्त हुई धनराशि एवं सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि लौटाने हेतु बाध्य होगा इस सम्बन्ध में ड्यूटी ज्वाईन करते समय निर्धारित प्रारूप में 50 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर बन्ध पत्र कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार में से किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा तथा उपरोक्तानुसार शपथ–पत्र मय मैस एडवांस राशि रूपये 3000/– के साथ पुलिसलाईन स0मा0 उपस्थिति देनी होगी।

3/11/26

(अनिल कुमार)
पुलिस अधीक्षक,
जिला सवाईमाधोपुर।

क्रमांक :– न–5(3)स0मा0–फोर्स/कानि0 भर्ती/2025/ 57-60 दिनांक :– 03/01/2026

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड़, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।
5. संचित निरीक्षक, पुलिसलाईन, सवाईमाधोपुर को भेजकर लेख है, कि नव–नियुक्त कानिस्टेबल के उपस्थित होने पर उपरोक्तानुसार शपथ–पत्र 02 दिवस में प्राप्त किया जाकर इकजाई कर इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. थानाधिकारी थाना ..... जिला ..... को जरिये ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर लेख है, कि अपने क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले नव–नियुक्त कानिगणों को 3000/– रूपये मैस एडवांस सहित **दिनांक 03.01.2026 तक रिर्जव पुलिस लाईन सवाईमाधोपुर** में अपनी उपस्थिति देने हेतु सूचित एंव पाबन्द करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करावें।
7. प्रभारी, लेखा शाखा/गोपनीय शाखा/अपराध शाखा/कन्ट्रोल रूम/सीसीटीएनएस, कार्यालय हाजा।
8. आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री .....

3/1/26

पुलिस अधीक्षक,
जिला सवाईमाधोपुर।